



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या- 01-कार्य-चौदह/पाकालि/2022/40-के/2020

दिनांक: 01, जनवरी 2022

प्रबन्ध निदेशक,

पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०,

वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा

एवं केस्को-कानपुर।

विषय: कार्मिकों द्वारा चल/अचल सम्पत्ति का विवरण ई0आर0पी0 पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही है कि उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 (कारपोरेशन द्वारा अंगीकृत) के आंशिक संशोधन में कार्मिकों द्वारा चल/अचल सम्पत्ति का विवरण प्रथम नियुक्ति एवं उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी से 31 जनवरी के बीच प्रस्तुत किये जाने का प्राविधान है।

कार्मिकों को अपने चल/अचल सम्पत्ति के विवरण को अब ई0आर0पी0 के अन्तर्गत इम्पलाई सेल्फ सर्विस पोर्टल (ESS Portal) पर उपरोक्तानुसार ऑनलाइन भरा जाना है।

उक्त के साथ ही कारपोरेशन के पत्र सं0-1855-कार्य-14/पाकालि/2021-40-के/2020 दिनांक 27.10.2021 में दिये गये निर्देश के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का चल/अचल सम्पत्ति का विवरण सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ई0आर0पी0 पोर्टल पर अपलोड किया जाना निर्देशित है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी कार्मिकों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे अपनी चल/अचल सम्पत्ति संबंधी विवरण को उपरोक्तानुसार प्रत्येक दशा में दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक ई0आर0पी0 के ई0एस0एस0 पोर्टल (ESS Portal) पर अपलोड करा दें।

भवदीय,

(ए0के0 पुरवार)

निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या-01(i)-कार्य-चौदह/पाकालि/2022 तददिनांक ।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/मेरठ/आगरा/वाराणसी एवं केस्को कानपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, कमरा नं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मै० एस०चर सल्यूशन लि०।
7. कट फाइल।

Chauhan
(ए0के0 पुरवार) 01/01/2022

निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0)